कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

प्रबन्ध मण्डल की 29वीं बैठक दिनांक–13.06.2016

कार्यवृत (Minutes)

प्रबन्ध मण्डल की 29वीं बैठक दिनांक 13.06.2016 को अपरान्ह 12:15 बजे विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन में स्थित सभा–कक्ष में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नांकित उपस्थित हुए :–

	प्रो0 पी.के. दशोरा माननीय कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	अध्यक्ष
2.	श्री रघुवीर मीणा नामित सदस्य प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	नामित सदस्य
3.	डॉ. टी.सी. लोया नामित सदस्य प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	नामित सदस्य
4.	श्रीमती मंजू शर्मा कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद्	सदस्य
5.	श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल माननीय विधायक, रामगंजमण्डी राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित विधायक	सदस्य
6.	प्रो0 विजय श्रीमाली राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
7.	डॉ0 विजय कुमार वशिष्ठ राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
8.	प्रो0 एन.के. जैमन कुलपति द्वारा नाम निर्देशित अधिष्ठाता	सदस्य

9. प्रो0 आशु रानी — सदस्य
कुलपति द्वारा नाम निर्देशित आचार्य

10. प्रो0 राजीव जैन — सदस्य
कुलपति द्वारा नाम निर्देशित आचार्य

11. डॉ. संदीप सिंह चौहान — सदस्य सचिव
कुलसचिव

12. श्रीमती पूनम मेहता — विशेष आमंत्रित सदस्य
वित्त नियंत्रक,
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर, डॉ0 जगतनारायण एवं श्री हीरालाल नागर, माननीय विधायक, सांगोद बैठक में उपस्थित नही हो सके। माननीय विधायक श्री हीरालाल जी ने लिखित में पृथक से कुछ कार्यसूची बिन्दुओं पर सुझाव दिये थे जिन्हे सम्बंधित कार्यसूची बिन्दुओं के साथ चर्चा में लिया गया।

बैठक का प्रारम्भ माँ सरस्वती की तस्वीर के सम्मुख दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। बैठक प्रारम्भ में माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय में नवपदस्थापित कुलसचिव डॉ. संदीप सिंह चौहान का स्वागत किया गया तत्पश्चात् माननीय कुलपति महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों का अभिनन्दन किया गया तथा सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह बहुत ही गरिमामय रूप से माननीय कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ है जिसकी समाज के विभिन्न वर्गो द्वारा भूरी–भूरी प्रशंसा की गयी है। राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपनायी गयी गतिविधियों को उदाहरण स्वरूप स्वीकार किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह वाले दिवस पर मुख्यालय पर स्थित राजकीय महाविद्यालयों में भी उपाधि वितरण किये जाने संबंधी कार्य शिक्षा जगत में एक नवाचार है। इस कार्य के लिये संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यो द्वारा दिये गये सहयोग के लिए प्रबंध मण्डल द्वारा उन्हे साधूवाद दिया गया। इसी के साथ साथ प्रबंध मण्डल द्वारा दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन में सहयोग करने वाले विश्वविद्यालय शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ–साथ अन्य सेवायें प्रदान करने वाले पक्षों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

दिनांक 13.03.2016 को ही विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण भी माननीय कुलाधिपति महोदय श्री कल्याण सिंह जी के करकमलों से संपन्न हुआ जो कि विश्वविद्यालय के लिये गौरव का विषय है।

इसके अतिरिक्त माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय में विगत दिनों हुई विभिन्न गतिविधियों के संबंध में सदन को अवगत करवाया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

विश्वविद्यालय में Indian Society of Agriculture Statistics के तत्वावधान में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेन्स आयोजित की गयी जिसमें विभिन्न सत्रों में कृषि क्षेत्र में सांख्यिकीय के उपयोग के संबंध में विस्तृत विचार–विमर्श किये गये। उक्त अध्ययन राष्ट्र के कृषि विकास में सहायक सिद्ध होगा। इसी दौरान कोटा की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुये विशेष सत्र का आयोजन किया गया। उक्त कॉन्फ्रेन्स के सफल आयोजन में प्रो. एन.के. जैमन के बतौर समन्यवक सहयोग के लिये बधाई दी गई।

शैक्षणिक एवं अनुसंधान की गुणवत्ता में और अधिक निपुणता हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–मानव संसाधन विकास केन्द्र (एकेडमिक स्टाफ कॉलेज), जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के बीच किये गये एम.ओ.यू. के तहत पहली बार ओरियन्टेशन प्रोग्राम एवं रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया गया जो कि अकादमिक क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय की प्रगति के सूचक हैं। अकादमिक विकास हेतु एम.ओ.यू. किये जाने पर माननीय कुलपति महोदय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर का सदन द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

राज्य सरकार द्वारा इस विश्वविद्यालय को म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर में संचालित स्किल डवलपमेंट सेन्टर की तर्ज पर कौशल विकास को प्रोत्साहित किये जाने के दृष्टिकोण से Centre for Entrepreneurship and Small Business Management की स्थापना की गई है। उक्त केन्द्र इस क्षेत्र के विद्यार्थियों में कौशल विकास के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। इस केन्द्र को राज्य सरकार से बजट/अनुदान स्वीकृत करवाने हेतु प्रयास करने के लिए सदन द्वारा श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं श्री हीरालाल नागर दोनों विधायक महोदय से अनुरोध किया गया ताकि इस केन्द्र का विकास सही तरीके से हो सके एवं समाज को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

विश्वविद्यालय को बी.एड पाठ्यक्रम एवं 04 वर्षीय बी.ए., बी.एड./बी.एससी. बी.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु करवाये जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा दिये जाने के लिये राज्य सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा माननीय कुलपति महोदय के इस बाबत् प्रयासों की सराहना की गयी। इस विश्वविद्यालय द्वारा उक्त दोनों प्रवेश परीक्षाऐं आयोजित करवाकर परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है। विश्वविद्यालय का यह प्रयास रहेगा कि राज्य सरकार एवं माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथियों पर काउंसलिंग कार्य पूर्ण कर लिया जावे।

इसी संदर्भ में सदन द्वारा विगत दिनों में माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयन्ती के उपलक्ष्य में अम्बेडकर पीठ स्थापित किये जाने एवं उक्त पीठ इस विश्वविद्यालय को आवंटित करने की घोषणा का स्वागत किया गया एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदया का आभार प्रकट किया गया। इसी के साथ सदन द्वारा श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, माननीय विधायक महोदय को उक्त घोषणा व्यावहारिक रूप से लागू किये जाने के लिए राज्य सरकार से आदेश प्रसारित करवाने तथा इसके लिए बजट इत्यादि स्वीकृत करवाये जाने का अनुरोध किया गया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा करवायी गई देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों की श्रेणियन में इस विश्वविद्यालय को मंत्रालय द्वारा स्थापित मापदण्डों की पूर्ति किये जाने के कारण 78वीं रैंक प्राप्त हुई जो अपने आप में विश्वविद्यालय के लिए एक गौरव का विषय है। इसके अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय को विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला रीको अवार्ड प्रदान किया गया जिसके लिए उक्त टीम के सदस्यों की सराहना की गई तथा राज्य सरकार के आदेश के कम में विश्वविद्यालय में भी संचालित विभिन्न पाठ्यकमों में प्रवेश प्रकिया को ऑन लाईन किया जा चुका है ।

उपरोक्त उल्लेखित समस्त उपलब्धियाँ माननीय प्रबन्ध मण्डल के मार्ग दर्शन सम्बल एवं विश्वास के फलस्वरूप प्राप्त हो सकी है इसके लिए माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन का आभार व्यक्त किया गया, इसके पश्चात् प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विचारणीय बिन्दुओं पर विस्तृत बिन्दुवार चर्चा विधिवत रूप से प्रारम्भ हुई ।

मद संख्या–1 : **प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 02.07.2015 एवं 07.03.2016 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**

निर्णय : प्रबन्ध मण्डल की बैठक संख्या 27 दिनांक 02.07.2015 तथा बैठक संख्या 28, दिनांक 07.03.2016 के कार्यवाही विवरण का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

मद संख्या–2 : **प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 02.07.2015 एवं 07.03.2016 में लिये गये निर्णयों के सम्बंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन अनुमोदित करना।**

निर्णय : प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 02.07.2015 तथा 07.03.2016 की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन कर पारित किया गया।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 02.07.2015 की मद सं. 4(अ) में लिये गये निर्णय की अनुपालना के सम्बन्ध में पृ.सं. 21–22 पर प्रस्तुत की गयी अनुपालना रिपोर्ट के सम्बन्ध में माननीय विधायक हीरा लाल जी नागर द्वारा चाही गयी जानकारी के सम्बन्ध में सदन को अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय में पेंशन फण्ड विगत कई वर्षों से पृथक से सृजित किया हुआ है जिसमें प्रति वर्ष पर्याप्त राशि हस्तांतरित की जा रही है। वर्तमान में पेंशनर्स की संख्या नगण्य सी है । अतः इस बाबत समिति का गठन नहीं किया जा सका है ।

मद संख्या–3 : **विद्या परिषद (Academic Council) की बैठक दिनांक 01.03.2016 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**

निर्णय : दिनांक 01.03.2016 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवाही विवरण के सभी बिन्दुओं का माननीय सदस्यों द्वारा अवलोकन कर अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–4 : **निरीक्षण मंडल (Board of Inspection) द्वारा अपनी मीटिंग दिनांक 28.07.2015, 21.11.2015 तथा 14.01.2016 में लिये गये निर्णयों को रिपोर्ट करना।**

निर्णय : दिनांक 28.07.2015, 21.11.2015 तथा 14.01.2016 को आयोजित निरीक्षण मण्डल की बैठकों के कार्यवाही विवरणों को अनुमोदित किया गया। इस सम्बन्ध में श्री हीरालाल नागर, माननीय सदस्य महोदय द्वारा प्रेषित लिखित सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 04.01.2016 की मद सं. 3 पर लिये गये निर्णय में सम्मिलित रहे सात महाविद्यालयों के नाम सदन को पढ़कर अवगत करवाये गये जो कि निम्न हैः–

1. ठाकुर जय सिंह महाविद्यालय, कोटा
2. सेक्रेड हार्ट महाविद्यालय, कोटा
3. श्री माँ महाविद्यालय सपोटरा, करौली
4. विवेक वर्द्धिनी महाविद्यालय, अन्ता, बारां
5. अपेक्स कॉलेज, मेलखेड़ी बाई पास, बारां
6. राजीव ग्रामीण विकास महाविद्यालय, टोडाभीम, करौली
7. अभिमन्यु महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर

वर्तमान में उपरोक्त उल्लेखित महाविद्यालयों को सत्र 2014–15 एवं 2015–16 में सम्बद्धता नहीं दी गई है।

निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 21.01.2016 के मद संख्या 2 में उल्लेखित लो.टी. महाविद्यालय का प्रकरण सदन में रखा गया। उक्त प्रकरण में सदन को अवगत कराया गया कि महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण दल के एक सदस्य को निरीक्षण सम्बंधी दस्तावेज दिए गए जिसमें एक लिफाफा पाया गया था। उक्त निरीक्षण दल के सदस्य द्वारा दस्तावेजों के साथ वह लिफाफा भी विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया गया। निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 21.01.2016 में उक्त प्रकरण को रखा गया। उक्त बैठक में लिफाफा खोला गया जिसमें से 50,000/– रूपये की राशि मिली। महाविद्यालय को उक्त सत्र (2015–16) की नवीन अस्थाई सम्बद्धता नहीं दी गई तथा अध्ययनरत विद्यार्थियों को अन्य महाविद्यालय में स्थानान्तरित किया गया। रू. 50,000/– राशि का लिफाफा सील पैक कर वित्त एवं लेखा विभाग में Double Lock में रखवा दिया गया है। उक्त प्रकरण पर विचार–विमर्श पश्चात् सदन में यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु पुनः निरीक्षण मण्डल की बैठक में रखा जाए। निरीक्षण मण्डल की बैठक मे लिये जाने वाले निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

मद संख्या–5 : **वित्त समिति की बैठक दिनांक 25.04.2016 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना** (वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 के संशोधित बजट से संबंधित अनुसंशाओं को अनुमोदित करना)।

निर्णय : श्रीमती पूनम मेहता, वित्त नियंत्रक, कोटा विश्वविद्यालय द्वारा सदन के समक्ष विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट प्रस्तावों एवं वर्ष 2015–16 के संशोधित बजट प्रस्तावों को रखा गया। उक्त बजट प्रस्तावों पर गहनता से विचार–विमर्श कर कमियों को इंगित किया गया। प्रो0 विजय श्रीमाली द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि श्रीमती मेहता, वित्त नियंत्रक द्वारा प्रथम बार सदन में बजट प्रस्ताव रखे गए है। अतः सदन द्वारा विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट प्रस्तावों एवं वर्ष 2015–16 के संशोधित बजट प्रस्तावों को माननीय सदस्यों द्वारा दिये गए सुझावों पर अमल करते हुये अनुमोदित किया गया एवं भविष्य में बजट में सम्मिलित किये गये विभिन्न घटकों को व्याख्यात्मक रूप से प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

बजट प्रस्तावों पर चर्चा के समय ही माननीय विधायक हीरा लाल जी नागर द्वारा पत्र के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव के सम्बन्ध में बजट प्रस्तावों के पृष्ठ सं. 71 की कम संख्या 10 पर व्यय मद अंकित नहीं होने के संदर्भ में वित्त नियंत्रक द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई कि बजट प्रस्ताव वर्ष 2015–16 में उक्त बजट मद Exam Material (envelopes & others) के नाम से रहा है। उक्त मद में वर्ष 2015–16 में कोई व्यय दर्ज नहीं हुआ है तथा परीक्षा अनुभाग में एक अन्य बजट मद exam contingency (परीक्षा आकस्मिकता) नाम से है।इस मद में पृ.स. 71 में उल्लेखित क.सं. 10 पर विगत वर्ष में किए गए प्रावधान को exam contingency में शामिल कर लिया गया है अर्थात् परीक्षा के बजट में कटौती नहीं की गई है।

मद संख्या–6 : **विश्वविद्यालय में कार्यरत 47 संविदा कर्मियों की संविदा अवधि में अग्रिम छः माह (दिनांक 01.01.2016 से 30.06.2016) की अभिवृद्धि संबंधी माननीय कुलपति महोदय के आदेशों को रिपोर्ट करना तथा इन्ही कार्मिको की संविदा अवधि में 01.07.2016 से आगामी छः माह के वृद्धि सम्बंधी प्रस्तावों का अनुमोदन करवाना।**

निर्णय : विश्वविद्यालय में संविदा पर रखें गये व्यक्तियों की अनुबंध अवधि में माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार दिनांक 01.01.2016 से 30.06.2016 तक की गई अभिवृद्धि आदेशों की पुष्टि की गई। साथ ही इन कार्मिकों की संविदा अवधि में दिनांक 01.07.2016 से अग्रिम छः माह के लिए अभिवृद्धि किये जाने सम्बन्धी प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या–7 : **कोटा विश्वविद्यालय कोटा को पी.टी.ई.टी. एवं बी.ए.–बी.एड/बी.एससी.–बी.एड परीक्षा–2016 आयोजित करवाने सम्बंधी राज्य सरकार के आदेश अवलोकनार्थ एवं इस बाबत विश्वविद्यालय द्वारा की गई/की जा रही प्रकिया प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना।**

निर्णय : प्रबन्ध मण्डल द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत तथ्यात्मक स्थिति का अवलोकन किया गया एवं इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी

जा रही प्रकिया/कार्य प्रणाली तथा गतिविधियों का अनुमोदन किया गया ।

मद संख्या–8 : **विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर लिये गये निर्णयों की अनुपालना में विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतान किये गये मानदेय/पारिश्रमिक राशि को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 34(ग) के संदर्भ में नियमितिकरण करवाने बाबत्।**

निर्णय : विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल द्वारा कर्मचारियों को स्थापना काल से भुगतान किये गये मानदेय/पारिश्रमिक प्रकरण का भूतलक्षित प्रभाव से नियमितिकरण किये जाने की अनुशंसा की गई। सदन द्वारा इस विषय पर विस्तृत विचार–विमर्श किया जाकर यह निर्णय लिया गया कि प्रबंध मण्डल से अनुमोदित दरों पर विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क से प्राप्त आय मद में से भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया जावें। राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में भी कर्मचारियों को परीक्षा कार्यों के लिए मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। उसी तर्ज पर इस विश्वविद्यालय कर्मचारियों को परीक्षा 2015 व आगामी वर्षो के लिए भी प्रबंध मण्डल से अनुमोदित दरों पर मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रासंगिक प्रकरण में भुगतान प्रबंध मण्डल से अनुमोदित दरों के अनुसार किये जाने के कारण महालेखाकार अंकेक्षण दल द्वारा लगाये गये आक्षेपों को भी निरस्त किये जाने संबंधी निर्णय लिया गया।

मद संख्या–9 : **उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मुल्यांकन के संबंध में ऑर्डिनेंस 158 के प्रावधानों में आंशिक संशोधन बाबत्।**

निर्णय : उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मुल्यांकन के संबंध में ऑर्डिनेंस 158 के प्रावधानों में आंशिक संशोधन किये जाने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्तावों के व्याख्यात्मक टिप्पणी में डॉ. वी.के. वशिष्ठ, माननीय सदस्य के कहे अनुसार उल्लेखित 'निम्नलिखित' शब्द को विलोपित करते हुए सदन द्वारा अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–10 : **डॉ. प्रवीण गोयल, उप कुलसचिव के निलम्बन आदेशों की विवेचना किये जाने के प्रस्ताव।**

निर्णय : सदन मे उक्त प्रकरण पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, माननीय विधायक एवं सदस्य तथा श्रीमती मंजू शर्मा, माननीय सदस्य द्वारा प्रकरण पर कठोर आपत्ति व्यक्त की गई। प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुये इसमें अंतिम निर्णय लिये जाने से पूर्व निम्नांकित सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया जो कि उक्त प्रकरण की सम्पूर्ण तथ्यात्मक स्थिति दो माह की अवधि में तैयार करेगी एवं उक्त तथ्यात्मक स्थिति आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत की जावेगी।

1. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, माननीय विधायक महोदया
2. श्री हीरालाल नागर, माननीय विधायक महोदय

3. संभागीय आयुक्त महोदय (वित्त विभाग, राज0 सरकार के प्रतिनिधि), कोटा
4. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक तक इस मद बाबत् प्राप्त प्रस्तावों को स्थगित किया गया।

मद संख्या–11 : **बालाजी महिला महाविद्यालय, सवाई माधोपुर पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिक प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में लगायी गई पेनल्टी को माफ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।**

निर्णय : इस प्रकरण को संपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति के साथ निरीक्षण मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जावे। निरीक्षण मण्डल से प्राप्त अनुशंसाओं के साथ आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण पर चर्चा के समय सदन में यह भी विचार–विमर्श हुआ कि संबंधित महाविद्यालय द्वारा तत्समय की जिन कानून व्यवस्थाओं की स्थितियों का उल्लेख अपने अभ्यावेदन में किया है, उस बाबत् सम्बंधित जिला प्रशासन से भी तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त की जावें।

मद संख्या–12 : **राजभवन जयपुर से प्राप्त आदेशो की पालना में कुलगीत तैयार कर लागू किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**

निर्णय : विश्वविद्यालय का कुलगीत तैयार करने हेतु सदन ने प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेने के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

मद संख्या–13 : **राजभवन जयपुर से प्राप्त आदेशो की पालना में विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जावे, जिसके लिये एक निश्चित तिथि निर्धारित कर राजभवन को सूचित करने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**

निर्णय : उक्त प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा उपरान्त सदन द्वारा प्रतिवर्ष दिनांक 23 जनवरी (सुभाष जयन्ती) को इस विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह आयोजित किये जाने हेतु तिथि निर्धारित की गई। उक्त तिथि की सूचना राजभवन, जयपुर शीघ्र ही प्रेषित की जावे।

मद संख्या–14.1 : **विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल के बाह्य सदस्यों को बैठक मानदेय राशि में अभिवृद्धि किये जाने संबंधी माननीय कुलपति महोदय के आदेशों को रिपोर्ट किये जाने तथा विश्वविद्यालय की चयन समिति में नियुक्त किये जाने वाले विशेषज्ञों/ सदस्यों को तथा राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली उच्च स्तरीय समितियों के सदस्यों को दिये जाने वाले मानदेय में वृद्धि सम्बंधी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।**

निर्णय : विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल के सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने के बाबत् दिये जाने वाले मानदेय राशि में वृद्धि संबंधी विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 2212–16 दिनांक 10.06.2016 की पुष्टि की जाकर विश्वविद्यालय की चयन समितियों एवं अन्य राज्य सरकार द्वारा गठित

की जाने वाली उच्च स्तरीय समितियों के सदस्यों को बैठक मानदेय दिये जाने संबंधी प्रस्तावों पर विचार–विमर्श किया जाकर निम्नानुसार मानदेय भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर चयन के लिए गठित चयन समिति एवं अन्य समकक्ष समिति सदस्यों को मानदेय राशि रू. 250C/– प्रति बैठक, प्रति बाह्य सदस्य
2. कुलपति पद के लिए गठित सर्च कमेटी सदस्यों के लिए मानदेय राशि रू. 3000/– प्रति बैठक, प्रति सदस्य

मद संख्या–14.2 : **विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने या अन्य कारणों से निरीक्षण करने हेतु नियुक्त किये जाने वाले निरीक्षकों को मानदेय भुगतान में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव।**

निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने या अन्य कारणों से निरीक्षण करने हेतु नियुक्त किये जाने वाले निरीक्षकों को भुगतान किये जाने वाले सदस्यों को निम्नांकित संशोधित दरों से मानदेय भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. बाह्य सदस्यों को, राशि रू. 1000/– प्रति महाविद्यालय
2. आन्तरिक सदस्यों को, राशि रू. 500/– प्रति महाविद्यालय

मद संख्या–14.3 : **विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं संकाय सदस्यों की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय से नामित शिक्षाविदों को उक्त बैठक में उपस्थित होने के एवज में भुगतान की जाने वाली सीटींग चार्जेज राशि का निर्धारण कर सम्बद्ध महाविद्यालयों को इस बाबत् निर्देश जारी करने के संबंध में।**

निर्णय : उक्त प्रस्तावों के संबंध में राशि रू. 1000/– प्रति बैठक मानदेय संबंधित महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से नामित/अनुमोदित विशेषज्ञ को भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त मानदेय के अतिरिक्त यात्रा, दैनिक भत्ता इत्यादि भी विशेषज्ञों को महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

मद संख्या–14.4 : **विश्वविद्यालय में किसी विशिष्ट विभूति/महापुरूष के नाम पर पीठ स्थापित करने बाबत्।**

निर्णय : विश्वविद्यालय स्तर पर भी किसी विशिष्ट विभूति/महापुरूष के नाम पर पीठ स्थापित करने संबंधी प्रस्तावों पर विस्तृत विचार–विमर्श किया जाकर स्वामी विवेकानंद के नाम से "स्वामी विवेकानंद पीठ" स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा उक्त पीठ के लिए राशि रू. 25.00 लाख का बजट आवंटित किये जाने की अनुशंसा की गई। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल–माननीय विधायक महोदया द्वारा उक्त पीठ के लिए विधायक कोष से राशि रू. 10.00 लाख का बजट देने की घोषणा की गई। इस संबंध में चर्चा के दौरान श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल–माननीय विधायक महोदया द्वारा आश्वस्त किया गया कि वे श्री ओम कृष्ण बिरला– सासंद महोदय, श्री हीरालाल नागर–माननीय

विधायक महोदय एवं अन्य विधायकों तथा राज्यसभा सदस्यों से भी इस पुनीत कार्य हेतु अनुदान राशि आवंटित किये जाने हेतु प्रयास करेगी।

मद संख्या–14.5 : **विश्वविद्यालय का नाम किसी विशिष्ट विभूति/महापुरूष के नाम पर करवाने बाबत्।**

निर्णय : विश्वविद्यालय का नाम किसी विशिष्ट विभूति/महापुरूष के नाम पर करवाने संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, कोटा किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जावें।

मद संख्या–14.6 : **विश्वविद्यालय में भूगर्भ शास्त्र विषय/विभाग खोले जाने के संबंध में।**

निर्णय : इस संबंध में माननीय सासंद महोदय एवं विधायक महोदय से प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा हुई, चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव व्यावहारिक एवं क्षेत्रिय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये समाजोपयोगी है। अतः उक्त प्रस्तावों के संदर्भ में विश्वविद्यालय में भूगर्भ शास्त्र विषय/विभाग खोले जाने के संबंध में प्रस्ताव राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या–14.7 : **संगमन शिक्षा एवं ग्रामीण विकास संस्थान, भवानीमण्डी, तह0 पचपहाड़ जिला झालावाड़ (राज0) द्वारा सत्र 2016–17 के लिये भवानीमण्डी में महाविद्यालय खोलने बाबत् जमा करवायी गयी सम्बद्धता शुल्क राशि रू. 1,25,000/– वापिस लौटाये जाने संबंधी प्रकरण प्रबंध मण्डल के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।**

निर्णय : उक्त प्रस्तावों पर चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रासंगिक प्रकरण में महाविद्यालय को राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं हो सका और न ही संबंधित संस्था महाविद्यालय संचालित किये जाने के पक्ष में है। अतः उक्त स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये संबंधित संस्था द्वारा जमा करवायी गयी राशि में से सम्बद्धता शुल्क राशि का 25 प्रतिशत्, बतौर प्रशासनिक प्रभार की कटौती करते हुये शेष राशि संबंधित संस्था को लौटा दी जावे।

मद संख्या–14.8 : **राजभवन से प्राप्त निर्देशानुसार विश्वविद्यालय परिसर में प्रतिदिन राष्ट्रीय ध्वज फहराये जाने की व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।**

निर्णय : प्रशासनिक भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराये जाने संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या–14.9 **अन्य मद।**

निर्णय : सदन की अनुमति से निम्नांकित विषयों पर चर्चा कर निर्णय लिये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

- विश्वविद्यालय में वर्ष 2014 में जिन पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी किन्तु राज्य सरकार से आगामी आदेशों तक

उक्त बंद लिफाफे नहीं खोले जाने संबंधी निर्देशों के कारण लम्बित प्रकरण पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार उक्त भर्ती प्रक्रिया के बंद लिफाफे विश्वविद्यालय की सक्षम समिति द्वारा खोले जाकर, उनकी जाँच गठित समिति से करवाये जाने के उपरान्त नियुक्तियाँ प्रदान की जावें।

सदन में चर्चा के दौरान यह अवगत कराया गया कि दिनांक 02.07.2015 की प्रबंध मण्डल की बैठक में बंद लिफाफे खोले जाने के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया था परन्तु उक्त प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुये सदन ने उक्त भर्ती प्रक्रिया के बंद लिफाफे खोले जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय तथा प्रो0 विजय श्रीमाली–माननीय सदस्य एवं श्रीमती मंजू शर्मा–माननीय सदस्य को अधिकृत किया। उक्त बंद लिफाफे खोले जाने के उपरान्त गोपनीय रूप से राज्य सरकार द्वारा गठित समिति को सुपुर्द किये जाने का निर्णय लिया गया।

- विश्वविद्यालय में संचालित एम.एससी लाईफ साइंस पाठ्यक्रम की समकक्षता के संबंध में चर्चा की गई, उक्त विषय पर चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि संबंधित पाठ्यक्रम की पाठ्यक्रम समिति की बैठक बुलवाकर संपूर्ण प्रकरण पर तथ्यों को ध्यान में रखते हुये समिति अनुशंषाऐं प्रदान करेगी, जिनका अनुमोदन विद्या परिषद् के विषय संबंधित सदस्यों को बुलाकर करवाया जाये तथा उक्त रिपोर्ट को आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत की जावें।
- विश्वविद्यालय में एकीकृत पाठ्यक्रम (Integrated Course) संचालित/प्रारम्भ किये जाने हेतु अनुशंषाऐं प्रदान करने बाबत माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति से प्राप्त अनुशंषाओं को माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित किये जाने संबंधी आदेशों की प्रबंध मण्डल द्वारा पुष्टि की गई।
- वर्तमान में विश्वविद्यालय का प्रतीक चिह्न (Logo) राजभाषा अधिनियम के अनुसार नहीं है। अतः उक्त प्रतीक चिह्न में अंकित विश्वविद्यालय नाम मे से हिन्दी वाले नाम को उक्त प्रतीक चिन्ह के उपरी भाग में अंकित करने तथा अंग्रेजी भाषा में अंकित नाम को उक्त प्रतीक चिह्न के निचले भाग में अंकित किया जाकर प्रतीक चिह्न को संशोधित करने का निर्णय लिया गया।
- विश्वविद्यालय के अकादमिक भवन में विगत दिनों स्थापित सोलर पावर प्लांट को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व उक्त प्लांट का उद्घाटन किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक से करवाये जाने हेतु प्रस्ताव डॉ. एन. के. जैमन, प्रोफेसर, प्योर एण्ड एप्लाईड फिजिक्स द्वारा प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त उक्त सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक से करवाये जाने के प्रस्तावों को स्वीकार किया गया तथा इस हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

- विगत दिनो विश्वविद्यालय के कर्मचारी श्री अवधेश कुमार पारीक, जो कि असिस्टेंट लाईब्रेरियन के पद पर कार्यरत थे, के आकस्मिक निधन के फलस्वरूप उनकी पत्नि श्रीमती नमिता पारीक को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को प्रेषित प्रार्थना–पत्र पर विचार–विमर्श किया गया। सम्पूर्ण सदन द्वारा श्री पारीक के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट किया गया तथा प्रासंगिक प्रकरण में सदन द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार कर, नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

अन्त में कुलपति महोदय ने सभी माननीय सदस्यों का बैठक में सक्रियता से भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया।

बैठक आसन को धन्यवाद के साथ पूर्ण हुई।

कुलसचिव एवं सदस्य सचिव